

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर

(दूरभाष नम्बर:-0141-2744861 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

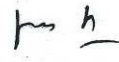
क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6) नि.प. (108/2013) अलेसे-III/4396

दिनांक :- 17/09/2019

आदेश सं. 4396/2019-20

शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.8(2)साप्र/5/2019 दिनांक 16.09.2019 के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रबन्धक, राजस्थान हाऊस नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ-स/721/रा.हा./2019 दिनांक 14.02.2019 के अनुसार श्री अर्जुन कदम सी.बी.आई. अधिकारी द्वारा राजस्थान हाऊस के कक्ष सं. 506 की दिनांक 12.09.2019 को सायंकाल 06.00 बजे की गई जांच के आधार पर श्री लोकेन्द्र सिंह कनि. लेखाकार को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करने तथा इनके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवाये (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, जयपुर एवं प्रबन्धक, राजस्थान हाऊस नई दिल्ली के द्वारा की गई रिपोर्ट/सिफारिश के आधार पर राजस्थान सिविल सेवाये (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार श्री लोकेन्द्र सिंह, कनि. लेखाकार को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन अवधि में श्री लोकेन्द्र सिंह का मुख्यालय कोषालय, जयपुर (शहर) में किया जाता है। श्री सिंह को निलम्बन काल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।


(मुकुन्द सोहानी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6) नि.प. (108/2013) अलेसे-III/4396

दिनांक :- 17/09/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
3. प्रबन्धक, राजस्थान हाऊस नई दिल्ली।
4. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदय।
5. कोषाधिकारी, कोषालय जयपुर (शहर)
6. श्री लोकेन्द्र सिंह, कनि. लेखाकार, राजस्थान हाऊस नई दिल्ली।
7. उप निदेशक, (एसीपी) कम्प्यूटर पीआईएस रिकार्ड संधारण एवं वैब साईट पर प्रकाशन हेतु।
8. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा/जांच शाखा/रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)